न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : विक्रम सिंह, आर.एच.जे.एस.

मूल दीवानी वाद संख्या : 37 सन् 2013

श्रीजी इन्फावेंचर प्रा.लि. बनाम हरीश कुमार

संशोधित विवाद्यक दिनांक : 07.08.2019

1. क्या प्रतिवादी द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में से कुल 8067 वर्गफीट कृषि एवं व्यावसायिक भूमि के विक्रय का अनुबन्ध वादी कंपनी के साथ दिनांक 08.10.2009 को किया व प्रतिफल राशि एक करोड़ पचपन लाख रुपये तय करते हुए उसमें से 11 लाख रुपये प्रतिवादी ने अनुबंध निष्पादित करते समय व उसके बाद 4 लाख रुपये प्राप्त किये ? —वादीगण

2. क्या दिनांक 08.08.2011 को विवादित भूमि 6154.40 वर्गफीट व शेष भूमि रास्ते में चली गई के संबंध में वादी व प्रतिवादी के मध्य उक्त भूमि को 75 लाख रुपये में विक्रय करना तय कर अग्रिम राशि 20 लाख पूर्व में ही प्राप्त कर रखे थे तथा निष्पादन के समय प्रतिवादी द्वारा 35 लाख रुपये व उसके पश्चात् 5 लाख एवं पूर्व में प्राप्त 15 लाख रुपये कुल 55 लाख रुपये प्रतिफल राशि प्राप्त की ? ——वादीगण

3. आया प्रतिवादी ने अनुबंध के अंतर्गत सम्पूर्ण विक्रय राशि प्राप्त कर ली है जिसे प्रतिवादी द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया है एवं वादी संविदा के अंतर्गत शेष दायित्वों की पालना के लिये सदैव तैयार एवं तत्पर है ? —वादीगण

4. आया वादीगण प्रतिवादी के विरुद्ध अनुबंध दिनांक 08.08.2011 की पालना में वर्णित 6154.40 वर्गफीट कृषि भूमि का विक्रयपत्र वादीगण के पक्ष में वादीगण के खर्चे पर कराने की आज्ञप्ति पारित करवा पाने एवं उक्त कृषि भूमि में वादीगण के पजेशन में कोई दखलंदाजी नहीं करने बाबत् प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त के अधिकारी हैं ? —वादीगण

5. आया प्रतिवादी द्वारा अनुबंध के अनुरूप सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर लेने पर अनुबंध में वर्णित वादान्तर्गत कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा आधिपत्य निरन्तर निर्बाध चला आ रहा है ? —वादीगण

6. आया वादी कंपनी अस्तित्व में नहीं है और न ही वादी कंपनी की ओर से श्री गिरीराज राठी को कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया है ? —प्रतिवादी

7 आया प्रतिफल राशि 1,55,00,000/—रुपये पर न्याय शुल्क अदा किये बिना वाद वादीगण चलने योग्य नहीं है ? —प्रतिवादी

8 आया कृषि भूमि होने के कारण इस न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है?——प्रतिवादी

9 आया वाद वादीगण मियाद बाहर है ? ——प्रतिवादी

10 आया संविदा कानूनन नोवेशन से प्रभावित होने के कारण उसकी विशिष्ट पालना नहीं हो सकती है ? ——प्रतिवादी

उभयपक्ष को विवाद्यक सुनाये गये तो किसी भी पक्ष ने कोई अन्य विवाद्यक नहीं सुझाया ।

अपर जिला न्यायाधीश,
नाथद्वारा